EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART - II, — SEC. 3 SUB. SEC - (i)

Appearing on Page No. 735–736

Dated 12-4-86

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1986

सा.का.नि. 278 - ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्तनाम और प्रारम्भ :- इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बोर्ड का सहायता या सलाह देने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या उसके प्रतिनिधियों का संयोजन) विनियम, 1986 ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे !

2. परिभाषाएं : (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र अधिनियम, 1980 (1980 का 46) अभिप्रेत है;

(ख) "विनियम" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; और

(घ) "सचिव" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ।

2. उन सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है वही अर्थ है जो अधिनियम में हैं ।

3. व्यक्ति या संगठन का संयोजन : बोर्ड, किसी व्यक्ति या विशेषज्ञ या किसी संगठन या अभिकरण या उसके प्रतिनिधियों, जैसे, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय सर्वेक्षण, केन्द्रीय जल और विद्युत शक्ति अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, पर्यावरण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ऐसेही अन्य सरकारी निकायो और/या किसी शाखा के किसी अन्य अभिकरण, जैसे नदी यांत्रिकी और नदी आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, नौकायन जल विद्युत शक्ति उत्पादन, विद्युत शक्ति पारेषण, सामाजिक अर्थशास्त्र, भूगर्भविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, दूरस्थ संवेदन आदि और वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबंध आदि को सहयुक्त करेगा या उससे तब सलाह करेगा जब ऐसे विषयों के, जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को समनुदेशित दायित्वों और कृत्यों के निष्पादन को आरम्भ करने, त्वरित करने या सुधारने में योगदान करेंगे, अध्ययन या परीक्षण करने या सलाह देने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति या किसी संगठन या उसके प्रतिनिधियों का भाग लेना आवश्यक समझा जाए ।

4. अनुज्ञा के लिए निवेदन :- जहां अध्यक्ष ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन या उसके प्रतिनिधि के सहयुक्त होने की आवश्यकता का अनुमोदन कर देता है तो, सचिव, संगठन के प्रधान को बोर्ड के कार्य से सहयुक्त होने के लिए संगठन के प्रतिनिधि को अनुज्ञा के लिए इस आशय का लिखित में निवेदन करेगा ।

5. भाग लेने की शर्ते : 'ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन या उसके प्रतिनिधि को, यदि आवश्यक हो तो, बोर्ड की बैठक में तब आमंत्रित किया जा सकेगा जब उस प्रयोजन से जिसके लिए उसका सहयोग वांछित है सुसंगत विनिर्दिष्ट मद पर बोर्ड विचार-विमर्श कर रहा है और ऐसा व्यक्ति केवल सुसंगत मद पर विचार विमर्श में भाग लेने के सीमित विस्तार तक ही सहयुक्त होने का हकदार होगा और मत देने का हकदार नहीं होगा ।

6. पारिश्रमिक या भत्ते : ऐसा व्यक्ति या संगठन या उसका प्रतिनिधि ऐसे पारिश्रमिक या भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करें ।

सं 30/11/82-एफ.सी.
के. यू. तीर्थानी, उप सचिव

New Delhi, the 17th March 1986

G.S.R. 278- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 29 read with sub-section (6) of section 4 of the Brahmaputra Board Act,1980 (46 of 1980) and with previous approval of the Central Government, the Brahmaputra Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement (1) These regulations may be called the Brahmaputra Board (Association of any person or organisation or its representative to assist or advise the Board) Regulations, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions-- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980).

(b) "Regulations" means the Regulation made under Section 29 of the Act.

(c) "Chairman" means the Chairman of the Brahmaputra Board

(d) "Secretary" means the Secretary of the Brahmaputra Board.

(2) All words and expressions used in these regulations but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in Act.

3. Association of person or organisation.-The Board may associate or consult any person or expert or an organisation or agency or its representative such as Central Water Commission, Central Electricity Authority, Survey of India, Central Water and Power Research Station, Central Soil and Materials Research Station, Department of Environment, Ministry of Science and Technology or such other Governmental Bodies and/or other agencies of any discipline such as River Mechanics and River Morphology, Hydrology, Meteorology, Navigation, Hydro-Power Generation, Power transmission, socio-economics, Geology, Seismology Ecology, remote sensing etc. and Financial and administrative management etc. when it is considered necessary that the participation of such a person or an organisation or its representative for study or examination or advice in matters that would contribute in initiating, expediting or improving the performance of the responsibilities and functions assigned to the Board under the Act.

4. Request of permission.---Where the need to :iate such a person or organisation or its representative proved by the Chairman a request to this effect shall be : by the Secretary in writing to the head of the ınisation to permit the representative of the organisation :sociate with the work of the Board.

5. Conditions of participation.--Such a person or nisation or its representative may, if necessary, be ed to the meeting of the Board when the specific item 'ant to the purpose for which his association is sought der discussion before the Board and such a person shall be entitled to associate to the limited extent of participating in the discussions on the relevant item only and shall not be entitled to vote.

6. Remuneration or allownaces.– The person or organisation or its representative would be entitled to remuneration or allowances as may be prescribed by the Board.

[No. 30/11/82-FC]
K. U. TIRTHANI, Dy.Secy.

MGIPRRND-1 M of WR.86-5-5-86—500